


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या- 1994/2015.....जिला.....जयपुर.....

उनवान- मैसर्स रवि रोड लाईन्स, जयपुर बनाम 1. अपीलीय प्राधिकारी, तृतीय, जयपुर 2. सहायक आयुक्त, वृत ई, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.05.2017	<p style="text-align: center;"><b>एकलपीठ कैम्प जयपुर श्री मदन लाल मालवीय-सदस्य</b></p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी व्यवसायी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री विक्रम गोगरा द्वारा अपील को विद्वल करने का निवेदन किया। विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी ने वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित न्यू एमेनेस्टी स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिये अपील को विद्वल करने का निवेदन किया है, जिस पर उप-राजकीय अभिभाषक रामकरण सिंह को कोई ऐतराज नहीं है।</p> <p>अतः अपीलार्थी का निवेदन स्वीकार किया जाकर अपील संख्या 1994/2015/जयपुर जरिये विद्वल खारिज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया</p> <p style="text-align: right;">   <b>सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</b> </p>	